Government of India
Ministry of Science & Technology
Department of Science & Technology

ADVT. No. DST/01/2020-E-III.

Applications are invited for filling up of '01' (One) Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A' post of Mission Director, National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS) in the Department of Science & Technology on deputation (including short-term contract) basis as per details given below:

1. **LEVEL IN THE PAY MATRIX**: Level 14 (Rs. 1,44,200- 2,18,200/-)

2. **METHOD OF RECRUITMENT**: Deputation (including short-term contract)

3. **NATURE OF THE POST:** Temporary

4. **PERIOD OF DEPUTATION**: Five years or till the completion of the mission, whichever is earlier.

5. **Eligibility**

Officers of the Central Government, State Governments, Union Territories, Autonomous or Statutory Organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions;

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or
(iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing following educational qualifications and experience:

Essential:
(i) Doctorate degree in Natural or Agricultural Sciences or Masters degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or Institute;
(ii) Fifteen years experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which seven years shall be in administration, planning, development of organisation and coordination of science and technology programme;
(iii) Experience of evolving, managing and directing science and technology programme;
(iv) published research work in journals of repute.

Desirable:

Doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or Institute or Post Doctorate research in Natural or Agricultural Sciences from a recognised University or Research Institute as evidenced by certification by such University or institute and publication of research work in journals of repute.

Note 1: Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience and experience is required to be acquired after obtaining the minimum essential qualification. However, period spent on post doctorate research in a University or Research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

Contd..2/-

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

AGE LIMIT : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-eight** years as on the last date of receipt of applications.

6. Duties and Responsibilities:

The Mission Director NM- ICPS shall be:
(a) CEO for the implementation of the Mission;
(b) HoD for the Mission Office and use all financial and administrative powers as delegated by the Mission Governing Board (MGB);
(c) Member Secretary of the MGB, Inter-Ministerial Coordination Committee and Scientific Advisory Committee; and
(d) Overall responsible for all activities of the Mission

7. GENERAL

i. The Department reserves the right to cancel the appointment at any time without assigning any reason, thereof.

ii. The prescribed essential qualifications are minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for interview. If the number of applications received in response to advertisement is large, the Department may restrict the number of candidates to be called for interview to a reasonable limit through a shortlisting process based on some well-defined criteria which may include possessing of desirable qualifications and / or experience prescribed in the advertisement and/or qualifications / experience in a particular field as per the specific requirement of the Department. No correspondence will be entertained from candidates who are not called for interview/ not selected for appointment. **CANVASSING IN ANY FORM WILL RESULT IN DISQUALIFICATION OF CANDIDATURE**.

iii. Out station candidates if called for personal interview in this Department will be paid to and fro fare of AC-II by direct train, only on production of valid proof of journey such as railway ticket(s) etc.

iv. The selected candidates are liable to be posted anywhere as per Government of India requirements.

v. The terms and conditions of appointment will be in accordance with the Department of Personnel & Training's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 5th January, 1994, as amended from time to time.

vi. The Curriculum Vitae duly supported by documents will be assessed by the Search-cum-Selection Committee while recommending candidates for appointment on deputation (including short–term contract) basis. The candidates who apply for the posts will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

8. HOW TO APPLY: The application process involves two stages:

I. Filling up of online application form

(a) Eligible candidates are required to apply **Online only**, through the online portal **https://recruitment.dst.gov.in/** using valid email ID. This online portal for applying shall be available for a period of 30 days from the date of advertisement in Employment News / Rozgar Samachar.

Contd..3/-

(b) The candidate will be required to fill the online application form and upload the relevant certificates/ documents. Instruction to fill up the application form is available on **https://recruitment.dst.gov.in/**

Note 1: Certificate (s) issued by foreign University(s)/Institution(s) must be certified by Association of Indian Universities (AIU), New Delhi by way of equivalence certificate(s). However, in case where AIU does not entertain applications for equivalence of such professional degrees awarded by foreign universities in disciplines which are presently outside the purview of AIU and where such cases are handled by the respective professional councils (recognised by Government of India), the applicant needs to upload equivalence certificate(s) issued by such professional council. Candidates will have to produce all the original certificates thereof as and when required.

Note 2: In case the applicant is presently working in State Govt./PSU/Autonomous organization/University etc. where the pay scales are not identical to the pay scales of central Government, the candidate will have to upload Gazette notification/government order (s) wherein such pay scales of State Govt./PSU/Autonomous organization/University etc have been equated to corresponding pay scale/level of 7^{th} CPC in Central Government. In this connection the onus of providing such equivalence shall be on the applicant and in such cases, the decision of the Department shall be final & binding.

II: Submission of hard copy of application by registered or speed post:

(a) Hard copy of the computer generated application (duly signed by the candidate) should be taken out by the candidate. No print out of the enclosed documents/ certificate is required to be forwarded with the hard copy of the application.

(b) Candidates working in Government Departments / Public Sector Undertakings / Autonomous Organizations/ Universities/ recognized Research Institutions **should apply through proper channel.** Such applications will be considered only if received through proper channel with 'Certificate' duly signed by the Competent Authority in the prescribed format (Annexure- I) within the prescribed time limit.

(c) Applications if received after the last date **shall not be considered** even if the online application is filled before the last date. Hence, it is the responsibility of such candidates to follow up their applications in their department /organization and ensure that their applications, completed in all form and duly verified by their competent authority are received by this Department within the prescribed time limit. Also, incomplete applications in any form shall be summarily rejected. Applications received after the last date of receipt of applications due to any reason including postal delay or delay in forwarding by the concerned forwarding authority etc. shall not be considered. **No relaxation shall be given in this regard.**

(d) The application form duly signed by the candidate along with attested copies of ACRs/ APARs for the last five years may be forwarded through proper channel to **Under Secretary (Establishment-III.), Department of Science and Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016** by **Registered Post or by Speed Post** within 15 days(30 days for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) **from the last date of closure of online portal** (i.e. 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News / Rozgar Samachar). **Candidates are advised not to send applications by ordinary posts or through courier.**

(e) A list of names of candidates whose applications are received within the prescribed time limit shall be posted on the Department's website, after the last date of receipt of applications. The candidates may check the status of their applications on the website. Any representation regarding non-inclusion of name in the list of applications shall not be entertained.

Advance copies of Applications will not be entertained.

Contd..4/-

In case of any discrepancies found between Hindi & English version of the advertisement, the English version of the advertisement will prevail.

(J. Sivaramakrishnan)
Under Secretary to the Govt. of India

ANNEXURE-I

CERTIFICATE

(TO BE GIVEN BY THE HEAD OF ORGANISATION / OFFICE)

(i) Certified that Sh. / Smt. / Ms.. joined this organization as .... on .... and is presently working as ....

(ii) Certified that the particulars have been verified and found to be correct. It is also certified that no disciplinary / vigilance proceedings are either pending or contemplated against the officer. Integrity of the officer is also certified.

(iii) The application of Sh. / Smt. / Ms.......................................is recommended. In case of his/ her selection, the Department / organization will relieve him/ her.

(iv) Copies of ACRs / APARs for the last five years are also enclosed.

Place :
Date :

Signature of the Head of the Organization / Office with Office Seal

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञापन सं. डीएसटी/01/2020 – स्था - III

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय अंतर-विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) के '01' (एक) अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क', पद को प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर निम्नलिखित ब्योरे के अनुसार भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर 14 (रू.1,44,200 – 2,18,200/-)
2.	भर्ती की पद्धति	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि सहित संविदा)
3.	पद की प्रकृति	:	अस्थायी
4.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	:	पांच वर्ष या मिशन पूरा होने तक जो भी पहले हो।

5. पात्रता

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शोध संस्थान के अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में अनुरूप पद पर सेवारत हों अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 क (रू.131100-216600) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद मूल संवर्ग अथवा विभाग में दो वर्ष की सेवा प्रदान की हो; अथवा

(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रू.123100-215900) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद मूल संवर्ग अथवा विभाग में तीन वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जो नीचे विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा मेडीसिन में निष्णात डिग्री।

(ii) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान तथा विकास में अथवा वैज्ञानिक कार्यकलापों एवं सेवाओं में पंद्रह वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम सात वर्षों का अनुभव संगठन के प्रशासन, आयोजना, विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के समन्वय के क्षेत्र में आवश्यक होगा।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तैयार करने, उसके प्रबंधन करने तथा निर्देशन करने का अनुभव, और

(iv) प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित अनुसंधान कार्य।

वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में डॉक्टरेट की डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान के प्रमाणन द्वारा प्रमाणित प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन।

टिप्पणी 1: अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को अनुभव में नहीं जोड़ा जाएगा और न्यूनतम अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के बाद अनुभव प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। तथापि, किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान में व्यतीत अवधि को जिसे उक्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रमाणन से साक्ष्यांकित किया गया हो, और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन को, अधिकतम दो वर्षों की अवधि के अध्यधीन, अनुभव में जोड़ा जाएगा।

टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. कृत्य एवं उत्तरदायित्व:

मिशन निदेशक, एनएम-आईसीपीएस:

(क) मिशन के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे;

(ख) मिशन कार्यालय के लिए कार्यालय प्रमुख होंगे और मिशन शासी बोर्ड (एमजीबी) द्वारा प्रत्यायोजित सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे;

(ग) एमजीबी, अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति तथा वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य सचिव होंगे; और

(घ) मिशन के समस्त कार्यकलापों के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. सामान्य :

i. विभाग के पास नियुक्ति को किसी भी समय कोई कारण बताए बिना निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ii. विहित अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं और उक्त अर्हताएं धारित करने मात्र से कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने का हकदार नहीं होगा। यदि विज्ञापन के उत्तर में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे तो सुनिर्धारित मानदंडों जिनमें वांछनीय अर्हताएं होना और/या विज्ञापन में विहित अनुभव होना और/अथवा विभाग की विशिष्ट अपेक्षा के अनुरूप किसी क्षेत्र विशेष में अर्हताएं/अनुभव होना शामिल होगा, के आधार पर विभाग द्वारा लघुसूचीयन प्रक्रिया के जरिए

साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तर्कसंगत रूप में सीमित रखी जाएगी। साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए गए/नियुक्ति हेतु नहीं चयन किए गए अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।**किसी प्रकार की संयाचना करने से अभ्यर्थिता अयोग्य हो जाएगी।**

iii. मुख्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु इस विभाग में बुलाए जाने की स्थिति में, यह विभाग केवल रेल टिकट आदि जैसे यात्रा के वैध साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सीधी ट्रेन में एसी-।। कोच से आने-जाने का किराया प्रदान करेगा।

iv. चयनित अभ्यर्थी को भारत सरकार की अपेक्षानुसार देश भर में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

v. नियुक्ति के नियम समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के का.ज्ञा.सं. 2/29/91-स्था (वेतन.।।) के अनुसार होंगे।

vi. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि सहित संविदा) आधार पर नियुक्ति हेतु किसी अभ्यर्थी की सिफारिश करते समय तलाशी-सह-चयन समिति दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित जीवनवृत्त का मूल्यांकन करेगी। पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

8. <u>आवेदन करने का तरीका:</u>

(क) पात्र अभ्यर्थी वैध ईमेल आईडी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पोर्टल https://recruitment.dst.gov.in/ के जरिए **केवल ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु यह ऑनलाइन पोर्टल एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक उपलब्ध रहेगा।

(ख) अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरने और प्रयोज्य प्रमाण-पत्र/दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश https://recruitment.dst.gov.inपर उपलब्ध हैं।

टिप्पणी:1 विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) नई दिल्ली द्वारा समतुल्य प्रमाणपत्र(पत्रों)के रूप में अवश्य प्रमाणित किया जाना चाहिए। तथापि, जहाँ एआईयू विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त ऐसी विषयगत वृत्ति उपाधियों की समतुल्यता का आवेदन स्वीकार नहीं करता है जो एआईयू के कार्यक्षेत्र से इस समय बाहर हैं और जहाँ ऐसे मामलों का निपटारा संबंधित वृत्ति परिषदों (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) द्वारा किया जाता है,वहाँ अभ्यर्थी को ऐसी वृत्ति परिषद द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाण-पत्र अपलोड करना जरूरी है । अभ्यर्थी को, जब कभी अपेक्षित हो अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2: यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार /पीएसयू/स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय आदि में इस समय कार्य कर रहा हो, जहाँ वेतनमान केन्द्र सरकार के वेतनमान के समान नहीं है,वहाँ अभ्यर्थी को राजपत्र अधिसूचना/सरकारी आदेश को अपलोड करना होगा,जिसमें राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय आदि के ऐसे वेतनमान को केन्द्र सरकार के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तदनुरूप वेतनमान/स्तर के समान कर दिया गया हो। इस संबंध में, ऐसी समतुल्यता प्रदान करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा और ऐसे मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

II.आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना:

(क) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर से तैयार आवेदन की हार्ड कॉपी (अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) प्राप्त करनी चाहिए। अनुलग्न दस्तावेज/प्रमाण-पत्र के प्रिंट आउट को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ अग्रेषित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/विश्विद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थी को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर तब विचार किया जाएगा जब वे विहित संरूप (संलग्नक-I) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के साथ उचित माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त होंगे।

(ग) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि के पहले भरा गया हो। इस प्रकार अभ्यर्थी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग/संगठन में अपने आवेदन का अनुवर्तन करे और यह सुनिश्चित करे कि उसका आवेदन हर प्रकार से पूर्ण हैऔर उसके सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित है, और वह आवेदन इस विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, किसी भी रूप में अधूरा आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। डाक विभाग द्वारा विलंब अथवा संबंधित अग्रेषण प्राधिकारी आदि द्वारा अग्रेषण में विलम्ब सहित किसी कारणवश आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।इस संबंध में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और विगत पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अनुप्रामणित प्रतियां ऑन-लाइन पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि (अर्थात एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन) से 15 दिनों के भीतर (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी अनुमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 30 दिन) अवर सचिव, (स्थापना-III) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा उचित माध्यम से अग्रेषित किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन को साधारण डाक अथवा कुरियर से नहीं भेजें।

(ड़) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त होंगे, उनके नामों की सूची आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद विभाग की वेबसाइट पर डाली जाएगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। आवेदनों की सूची में नाम शामिल नहीं किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदनों की अग्रिम प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

विज्ञापन के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर के बीच कोई विसंगति पाए जाने पर, विज्ञापन का अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

(जे. शिव रामकृष्णन)

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक-I

<u>प्रमाण-पत्र</u>

(संगठन/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया जाए)

i. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... ने दिनांक .... को इस संगठन में .... पद पर कार्य भार ग्रहण किया और .... पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं/रही हैं।

ii. प्रमाणित किया जाता है कि इनके विवरणों को सत्यापित कर दिया गया है और सही पाया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाही अधिकारी के विरुद्ध लंबित अथवा अवेक्षित नहीं है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रामाणित है।

iii. श्री/ श्रीमती/सुश्री .... के आवेदन की अनुशंसा की जाती है। उनका चयन हो जाने पर विभाग/संगठन उन्हें भारमुक्त कर देगा।

iv. विगत पांच वर्षो की एसीआर/एपीएआर की प्रतियां भी अनुलगन की गई हैं।

संगठन/ कार्यालय प्रमुख

के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर

स्थान:

दिनांक: